

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली, जिला सीधी (म.प्र.)

Email-hegaaccmajsid@mp.gov.in

क्रमांक 898 / जेम पोर्टल / 2025

मझौली, दिनांक 10/06/2025

प्रति,

जेम पोर्टल,
नई दिल्ली

विषय:- योजना क्रमांक 3446 (खेलकूद प्रोत्साहन योजना) अन्तर्गत सत्र 2025-26 हेतु सामग्री कय करने बावत्।

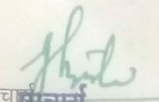
---00---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा प्राप्त बजट अनुसार योजना क्रमांक 3446 (खेलकूद प्रोत्साहन योजना) अन्तर्गत सत्र 2025-26 हेतु सामग्री कय किया जाना है जो इस प्रकार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	सामग्री का नाम	कम्पनी नाम	संख्या
1	क्रिकेट किट	SG/SS	04 सेट
2	क्रिकेट बैट	SG/SS	06 नग
3	क्रिकेट बॉल	SG/SS	10 नग
4	क्रिकेट ड्रेस	-	12 नग / सेट
5	बैडमिंटन रैकेट	-	04 सेट
6	गोला (छात्र), गोला (छात्रा)	-	01-01 नग
7	भाला (छात्र), भाला (छात्रा)	-	02-02 नग
8	खो-खो पोल	-	02 सेट
9	बॉलीबाल	NIVIA/COSCO	02 नग
10	बॉलीबाल नेट	-	01 सेट
11	बॉलीबाल पोल	-	02 सेट
12	योगा मैट	-	10 नग
13	दौड स्टार्टर	-	02 नग
14	खो-खो ड्रेस	-	12 नग / सेट
15	कबड्डी ड्रेस	-	12 नग / सेट

नियम एवं शर्तें:-

1. सामग्री गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक है।
2. सामग्री महाविद्यालय तक पहुंचाने एवं इंस्टालेशन कार्य संबंधित फर्म का होगा।
3. सामग्री की आपूर्ति महाविद्यालय तक आदेश प्रदाय के 15 दिवस में अनिवार्य रूप से करना होगा।
4. देयक का भुगतान बजट एवं सम्पूर्ण कय प्रक्रिया के पालन पश्चात किया जायेगा।
5. जी.एस.टी. भुगतान प्रमाण-पत्र महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
6. देयक का भुगतान शासकीय बजट के अनुरूप कोषालय द्वारा बैंक अकाउंट में ई पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा। अतः बैंक की जानकारी देयक में अनिवार्य रूप से अंकित करें।
7. देयक महाविद्यालय को 03 प्रतियों में प्रदाय करना होगा एवं देयक राशि रुपये 300000/- (शब्दों में - तीन लाख) मात्र से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मझौली होगा।
9. सामग्री कय से संबंधित समस्त अधिकार महाविद्यालय प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
10. भण्डार कय नियमों की समस्त शर्तें लागू होंगी जो मान्य होगी।


प्राचार्य
शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
मझौली, जिला सीधी, म.प्र.

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली, जिला सीधी (म.प्र.)

Email-hegaaccmajsid@mp.gov.in

क्रमांक 697/जेम पोर्टल/2025

मझौली, दिनांक 10/06/2025

प्रति,

जेम पोर्टल,
नई दिल्ली

विषय:- योजना क्रमांक 5551 (आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था) अन्तर्गत सत्र 2025-26 हेतु सामग्री क्रय करने बावत्।

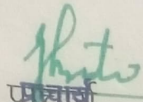
---00---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा प्राप्त बजट अनुसार योजना क्रमांक 5551 (आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था) अन्तर्गत सत्र 2025-26 हेतु सामग्री क्रय किया जाना है जो इस प्रकार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	सामग्री का नाम	संख्या
1	वाटर कूलर 80 लीटर	01 नग
2	कूलर 100 लीटर	01 नग
3	ऑल इन वन प्रिन्टर	01 नग
4	कम्प्यूटर एच.पी.	01 नग

नियम एवं शर्तें:-

1. सामग्री गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक है।
2. सामग्री महाविद्यालय तक पहुंचाने एवं इंस्टालेशन कार्य संबंधित फर्म का होगा।
3. सामग्री की आपूर्ति महाविद्यालय तक आदेश प्रदाय के 15 दिवस में अनिवार्य रूप से करना होगा।
4. देयक का भुगतान बजट एवं सम्पूर्ण क्रय प्रक्रिया के पालन पश्चात किया जायेगा।
5. जी.एस.टी. भुगतान प्रमाण-पत्र महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
6. देयक का भुगतान शासकीय बजट के अनुरूप कोषालय द्वारा बैंक अकाउंट में ई पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा। अतः बैंक की जानकारी देयक में अनिवार्य रूप से अंकित करें।
7. देयक महाविद्यालय को 03 प्रतियों में प्रदाय करना होगा एवं देयक राशि रुपये 200000/- (शब्दों में - दो लाख) मात्र से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मझौली होगा।
9. सामग्री क्रय से संबंधित समस्त अधिकार महाविद्यालय प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
10. भण्डार क्रय नियमों की समस्त शर्तें लागू होंगी जो मान्य होगी।


शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
मझौली, जिला-सीधी (म.प्र.)